

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 1046 / गोपनीय / 2021
दो-२-९ / ९७

जबलपुर, दिनांक १७ नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना पृष्ठांकन फा. क्रमांक 4215 / 21-ब(एक), दिनांक 16.11.2021 की प्रति :-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा / हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश—ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्री राजीव कुमार करमहे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 30.11.2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित।
7. (i) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, खण्डपीठ इन्डौर/ इन्डौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/ ग्वालियर के माननीय न्यायाधिपति महोदयगणों को आदेश की प्रति ई—मेल द्वारा प्रेषित किए जाने हेतु अग्रेषित।
(ii) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई—मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०—१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर-452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/ बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/ इन्डौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (परीक्षा एवं आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (7) रजिस्ट्रार (परीक्षा एवं लेबर ज्यूडिशियरी) / (जिला स्थापना) / (कार्य एवं अधोसंरचना) / (प्रशासन) / (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2) / (आई०एल०) / रजिस्ट्रार-सह-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम इनालिस्ट (एस०ए०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (8) संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. रजिस्ट्रार (ई०) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(IT)(SA)/2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
१७.११.१५

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 16/11/2021

फारमांक 4215/21-ब(एक), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की उप धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, म0प्र0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री राजीव कुमार करमहे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बैतूल को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य-सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

F.No. 4215/21-B(1), In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri. Rajeev Kumar Karmahen, Principal Judge, Family Court, Betul as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(गोपाल श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 4215/21-ब(एक), 2021

भोपाल, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर आपके अद्वैशासकीय पत्र क्र. 1026/गोपनीय/2021 दो-2-9/97 दिनांक 11.11.2021 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
(2) विधि परामर्शी, म0प्र0 शासन भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
(3) श्री राजीव कुमार करमहे, प्रिंसिपल जज, कुटुम्ब न्यायालय बैतूल
(4) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (टी/एम) म0प्र0 ग्वालियर,
(5) सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सी-2, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर,
(6) वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
(7) आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।
(8) उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेसा हिल्स, भोपाल 6 की ओर भेजकर निवेदन है कि म0प्र0 असाधारण राजपत्र भाग—एक में प्रकाशित करने हेतु। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।


(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

